राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3634/2024

बबली राम जाट **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप आयुक्त एवं संयुक्त सचिव (द्वितीय), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर।
4. श्री रमेश खींची, एमएलए, कठूमर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.12.2024
आदेश की दिनांक : 02.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री आर.के.निगम, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर जिला परिषद, अलवर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश राजस्थान सेवा नियम के नियम 25ए के विपरीत जाकर जारी किया गया है। राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा राजस्थान सेवा नियम वॉल्यूम द्वितीय में आदेश दिनांक 06.08.2018 के द्वारा यह संशोधन किया गया कि यदि किसी कार्मिक को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाता है तो विभाग उसका स्पष्ट रूप से कारण बतायेगा। जबकि वर्तमान मामले में अपीलार्थी को बिना कोई मुख्य कारण बताये आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। आदेश

दिनांक 02.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया और जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 04.10.2024 को कार्यग्रहण किया। परंतु मात्र दो माह की अल्पावधि में ही पुनः अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रख दिया गया जो कि स्थानान्तरण नीति के विपरीत है और ऐसे अल्पावधि वाले मामलों में माननीय अधिकरण द्वारा भी अंतरिम आदेश जारी किया गया है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रामेश्वर दयाल गुर्जर वाले मामले में भी ऐसे अल्पावधि में स्थानांतरण किया जाना अनुचित माना है। अपीलार्थी को राजनैतिक प्रभाव में आकर आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है जो नियम विरूद्ध है। गिरिराज शर्मा बनाम राज्य 2002 डब्ल्यू एल सी राज. यू.सी. पेज 721 एवं सत्यनारायण बनाम राज्य डब्ल्यू.एल.आर. 1992 राज. 317 में इस प्रकार राजनैतिक दबाव में आकर स्थानान्तरण करना उचित नहीं माना है। अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य आदेश राजनैतिक प्रभाव में आकर किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। उनका यह भी कथन है कि एक वर्ष के अंदर अपीलार्थी का 4 बार स्थानांतरण किया गया है, जो राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर जिला परिषद, अलवर में निरंतर कार्य करने दिया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ आदि प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि राजस्थान ग्रामीण विकास राज सेवा अधिकारियों का स्थानांतरण/पदस्थापन/आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाना राज्य सरकार की एक सतत् प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें प्रशासनिक कारणों से सक्षम स्तर से निर्णय एवं अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण/पदस्थापन किया जाता है और ऐसे अधिकारियों को संपूर्ण राज्य में कही भी एवं कभी भी स्थानांतरण आदेश जारी किये जाते रहे हैं और एक ही स्थान पर कार्य करने के संबंध में समयावधि का उल्लेख नहीं किया गया है। अपीलार्थी को जनहित में राज्य में किसी भी स्थान पर जरूरत के अनुसार पदस्थापित किया जा सकता है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर जिला परिषद, अलवर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि किसी भी कार्मिक को राज्य हित में कहीं पर भी सेवायें दी जा सकती हैं और प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर कहीं पर भी स्थानांतरण कभी भी किया जा सकता है। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आलोच्य आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत पत्र दिनांक 22.11.2024, 28.11.2024, 30.11.2024 एवं संलग्न अन्य दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अनेक शिकायतें समय–समय पर होती रही हैं। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी की कार्यशैली संतोषजनक नहीं रही है और इस प्रकार हम अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 में किसी प्रकार की नियम विरूद्धता नहीं होने के आधार पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष